भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2153

जिसका उत्तर 12.02.2026 को दिया जाना है

सड़क सुरक्षा निधि का उपयोग

2153. श्री वरुण चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा कोष के संग्रह और उपयोग का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने में सड़क सुरक्षा कोष के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के इसके उद्देश्य के संबंध में सड़क सुरक्षा कोष के उपयोग की कोई समीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) केन्द्रीय स्तर पर कोई विशिष्ट सड़क सुरक्षा कोष नहीं है। सड़क सुरक्षा कोष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर स्थापित किए गए हैं। हालाँकि, सड़क सुरक्षा हर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा पहल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की शुरुआत के साथ शुरू होती है क्योंकि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा ऑडिट को सभी चरणों, यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए शामिल संरचनाओं के आधार पर विकास परियोजनाओं की कुल लागत का 2.21% से 15% तक व्यापक सड़क सुरक्षा पहलुओं पर व्यय होता है।

इसके अलावा, सरकार सड़क प्रयोक्ता के मध्य जागरूकता और प्रचार प्रसार करने की योजना भी लागू करती है और मॉडल ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों की स्थापना, मॉडल निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थापना, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार और सुदृढ़ीकरण आदि के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन पहलों के लिए जारी की गई निधि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों का विश्लेषण वाहनों की संख्या और सड़क की लंबाई के संदर्भ में यह दर्शाता है कि प्रति 10,000 वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या 2018 में 5.8 से घटकर 2022 में 4.3 हो गई है और प्रति 10,000 किलोमीटर सड़कों पर होने वाली मौतों की संख्या 2018 में 254 से घटकर 2022 में 250 हो गई है।

अनुलग्नक

“सड़क सुरक्षा निधि का उपयोग” के संबंध में श्री वरुण चौधरी द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2153 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वित्तीय वर्ष के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अलग-अलग सड़क सुरक्षा पहलों/योजनाओं के लिए जारी किए गए फंड का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21में व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2021-22में व्यय	वित्तीय वर्ष 2022 - 23	वित्तीय वर्ष 2022 - 23 में व्यय	वित्तीय वर्ष 2023 - 24	वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में व्यय	वित्तीय वर्ष 2024 - 25	वित्तीय वर्ष 2024 - 25 में व्यय
1	सड़क सुरक्षा प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना (एनएचएआरएसएस), असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास, आदि।	171.00	65.94	109.00	41.48	189.50	68.67	138.10	85.04	103.50	99.20
2	निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र (राजस्व)	29.00	16.20	29.00	14.15	33.00	14.60	24.00	17.77	19.50	10.65
3	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार और मजबूती	89.00	30.60	103.00	10.80	15.00*	30.33	50.00	38.00	38.00	16.04

* *आरई चरण पर 40.00 करोड़ रुपये*

*****